न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 07/2015 (76 एल .आर. एक्ट)

उनवान

राम सिंह पुत्र बालमुकन्द जाति काछी निवासी पिचूना सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.03.2015 प्र.संख्या 73/2013 उनवानी राम सिंह बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील अपीलांट।
2. श्री मोहन सिंह राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक– 21.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 13.03.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी ने एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार, उच्चैन को इस आशय की पेश की अपीलाण्ट/वादी ने खसरा नम्बर 1408 रकवा 2 बीघा 06 विस्वा में से 01 विस्वा वाके ग्राम पिचूना तहसील रूपवास पर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता अंकित है। तहसीलदार रूपवास ने साक्ष्य एवं सुनवाई के बाद अपीलाण्ट/वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर पैनल्टी एवं तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील को अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 से आंशिक स्वीकार करते हुए, सिविल कारावास

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की आज्ञा को निरस्त किया जाकर शेष आज्ञा यथावत रखी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं हर दो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश हर दो अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिजी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता नहीं है और ना ही पिछले पचासों साल से रास्ते के काम आ रही है। भूमि मौके पर पुराने जमाने से ही राज0 भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व अपीलाण्ट के गैत वाडे एवं आबादी के कार्य में आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार आबादी व रास्तों की भूमि को आबादी के लिये नियमन करने में कोई बाधा नहीं रहती है। अपीलाण्ट के पास विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि गैत वाडे हेतु गॉव में नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने वास्तविकता की जॉच किये बिना एवं बिना मौके देखें कयास के आधार पर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जो अवैधानिक व काबिल खारिजी है। अतः हर दो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर, अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जिस पर अपीलांट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं अपीलाण्ट ने अपना विवादित आराजी पर अतिक्रमण माना है। रिपोर्ट पटवारी हल्का में विवादित आराजी से पूर्व में भी दिनांक 22.09.2012 को बेदखल किया जाना स्पष्ट अंकित है। अपीलाण्ट अतिक्रमी विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि होना प्रमाणित है। अपीलांट को परीक्षण न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय में सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिया गया है। विधि अनुसार अपीलाधीन निर्णय सही हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित भूमि गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है, जिस पर अपीलांट का अतिक्रमण, स्वयं अपीलांट के अभिवचनों से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की गई है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता की होने के कारण सार्वजनिक उपयोय की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अन्तर्गत गैर मुमकिन रास्ता एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि/आराजी का नियमन/आवण्टन किया जाना वर्जित रहता है। अतिक्रमी अपीलांट द्वारा अपने कथित स्वत्व का कोई स्त्रोत स्पष्ट नहीं किया गया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अतः अपीलाण्ट/अतिक्रमी को विवादित आराजी से बेदखली की प्रभावी कार्यवाही किया जाना उचित ही है। योग्य अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर ने अपीलाण्ट के प्रति नरमी दिखाते हुए, सिविल जेल की सजा माफ कर दी है। अतः हम अपीलाण्ट को इससे अधिक रियायत का अधिकारी नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। हर दो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, उच्चैन दिनांक 02.07.2013 व न्यायालय अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 13.03.2015 यथावत रखे जाते हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार उच्चैन को निर्देशित किया जाता है। चूंकि विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर, भू राजस्व अधिनियम की धारा 91(6) अन्तर्गत भी कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी/पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official